कमला देवी बनाम प्रहलाद सिंह

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दावा 16/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
1808/रीडर 13-11-25	लाल स्याही से दर्शित रास्तेनुमा आकृति के बारे में भी कोई विस्तार से अंकन नहीं किया है कि उक्त रास्ता किस रास्ते से जुड़ा हुआ होकर खातेदारान् के सार्वजनिक उपयोग में आयेगा। अतः प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में रास्तों के प्रावधान के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट ली जाने हेतु तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.11.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
28.11.2025	दिनांक 18.11.2025 को इकजाई पेशी होने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। पत्रावली में तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) से पत्रांक कमांक / भू.अ. / 2025 / 3109 दिनांक 20.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीया ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया, वकील वादीया के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीया एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती हैं, विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता [illegible] पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
16 / 2023	2023 / 31	27.01.2023	28.11.2025 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. कमला देवी पत्नि उमराव सिंह उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मावण्डा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)

———वादी——

बनाम्

1. प्रहलाद सिंह पुत्र रूडसिंह उम्र 60 वर्ष
2. गजसिंह पुत्र रिछपाल सिंह उम्र 65 वर्ष
3. उमराव सिंह पुत्र गणेश सिंह उम्र 60 वर्ष
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
4. अजय कुमार कोकडा पुत्र सत्यनारायण कोकडा उम्र 55 वर्ष
5. आजाद कुमार कोकडा पुत्र सत्यनारायण कोकडा उम्र 60 वर्ष
6. संजय अग्रवाल पुत्र ओ.पी. अग्रवाल उम्र 55 वर्ष जाति महाजन निवासी प्रथम मंजिल आसफ अली रोड नई दिल्ली
7. ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र किशनदास अग्रवाल उम्र 70 वर्ष जाति महाजन निवासी बी 262 अशोक विहार नई दिल्ली
8. रामकरण पुत्र अर्जुनराम उम्र 45 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम रामपुरा पाटन तहसील नीमकाथाना
9. मूल सिंह पुत्र बच्चन सिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
10. रामस्वरूप सिंह पुत्र भागीरथ सिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
11. साधू सिंह पुत्र चन्द सिंह उम्र 60 वर्ष जा[illegible] निवासी ग्राम मावण्डा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर [illegible]
12. नारायण सिंह पुत्र चन्द [illegible] राजपूत निवासी ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

13. राजेश गुप्ता पुत्र रामनारायण उम्र 50 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम खेतड़ी मोड नीमकाथाना जिला सीकर राज.
14. पटवारी पटवार हल्का खिरोटी
15. उपपंजीयक अजीतगढ
16. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

———प्रतिवादीगण——

उपस्थितः–
श्री राजेन्द्र प्रसाद काला, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 16 की ओर सें।

दावा बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 7.10 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित है। जिसके हिस्सा 77/355 भाग की वादीया हिस्सा 7/710 का प्रतिवादी संख्या 1, हिस्सा 44/355 का प्रतिवादी संख्या 2, हिस्सा 7/71 की प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 107/710 व 107/710 भाग के प्रतिवादी संख्या 4 व 5 हिस्सा 32/355 का प्रतिवादी संख्या 6 हिस्सा 38/355 व हिस्सा 9/710 का प्रतिवादी संख्या 7 हिस्स 14/355 का प्रतिवादी संख्या 8 रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। हाज आराजी भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 9.03 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित है। जिसके हिस्सा 218/903 भाग की वादिया हिस्सा 3/301 का प्रतिवादी संख्या 1, हिस्सा 16/129 का प्रतिवादी संख्या 2, हिस्सा 2/21 व 2/21 भाग के प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 हिस्सा 51/301 का प्रतिवादी संख्या 9, हिस्सा 16/139 का प्रतिवादी संख्या 8, हिस्सा 11/301 का प्रतिवादी संख्या 9, हिस्सा 16/129 का प्रतिवादी संख्या 10, हिस्सा 22/301 का प्रतिवादी संख्या 11 रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। हाल आराजी भूमि कृषि भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 1.08 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में अव[illegible] 9/80 भाग की वादिया, हिस्सा 1/160 का प्रतिवादी संख्या 1, हिस्सा 31/[illegible] व प्रतिवादी संख्या 2, हिस्सा 29/320 व 29/320 भाग के प्रतिवा[illegible] 32 का प्रतिवादी संख्या 6, हिस्सा 1/160 व हिस्सा [illegible] संख्या 7, हिस्सा 31/480 का प्रतिवादी संख्या 10, हिस्सा 31/480 का प्रतिवादी संख्या 12, हिस्सा 37/1440

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

व प्रतिवादी संख्या 13 रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। हाल आराजी भूमि कृषि खसरा नम्बर 214/2778 रकबा 1.78 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित है। जिसके हिस्सा 1/8 भाग की वादिया, हिस्सा 1/96 का प्रतिवादी संख्या 1, हिस्स 1/8 का प्रतिवादी संख्या 2, हिस्सा 29/192 व 29/192 भाग के प्रतिवादी संख्या 4 ता 5, हिस्सा 3/16 का प्रतिवादी संख्या 7 हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी संख्या 8 रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि वादिया एव प्रतिवादी नम्बर 1 ता 13 की सयुक्त खातेदारी की संयुक्त कब्जे काश्त की शामलाती कृषि भूमि है। उक्त भूमियों का कोई विधिक व वास्तविक विभाजन आज तक कभी नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमिया खिरोटी गाव के सडक मार्ग के पास स्थित है। जिसके आसपास अवैध तरीके से खनन हो रहा है तथा उक्त खनन की आड में उक्त खनन का मलबा आदि डालकर उक्त भूमियों पर अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास खनन माफिया द्वारा किया जा रहा है। वादिया पिछले कई वर्षो से प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त भूमियों का कानूनी बटवारा सही व सतुलित रूप से रास्ते से लगती हुई भूमियों का समान हिस्सा व फ्रट तय करके बटवारे हेतु कहते है। किन्तु प्रतिवादीगण काफी समय से आश्वासन मात्र ही देते रहे है। परन्तु अब प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नापजोख करके भूमियों की स्थितिजन्य महतता के अनुसार बटवारा करने से इंकार हो रहे है व खनन माफियो से मिलकर वादग्रस्त भूमियो की रास्ते से लगती हुई सीमा संपूर्ण पर अनुचित व अवेध रूप से एकाधिकार व प्रभुत्व कायम करना चाहते है व इस हेतु खनन माफियों से मिलकर वादग्रस्त भूमियों पर अतिकमण करवाने खनन का मलबा डालकर उक्त भूमियो को खुर्दबुर्द करने व रास्ते से सटती हुई भूमियों पर विशिष्ठ भू भाग व अपेक्षाकृत अधिक किमती भूमि पर खाम या पक्का निर्माण व अन्य प्रकार का निर्माण करके विधिक बटवारे मे जटिलताए व उलझन पैदा करना चाहते है व वादिया को रास्ते से लगती हुई भूमि का उनके हिस्से के अनुपात में हिस्सा देने से भी मना करने लगा है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त नहीं है। वादिया भूमि मुतनाजा के काबिज खातेदार काश्तकार है। जिसे अपने हिस्से अनुसार सही व संतुलित बटवारा रास्ते की भूमि का आनुपातिक हिस्सा लेते हुए करने करवाने का हक प्राप्त है। प्रतिवादीगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर बिना बटवारा किए ही दिगर व्यक्तियों को रास्ते से लगती हुई भूमि का विशिष्ठ स्थल पर कब्जा करने व विकय करने की धमकी दे रहा है व मौका देखकर निर्माण आदि करने की धमकिया दे रहे है व कहने सुनने से मान नही रहे तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 13 द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से वादिया से वाद विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप मे उपयोग करने में अवरोध कारित किया जाता है तथा बात बात को लगर झगडे फिसाद [illegible] उतारू हो जाते है। इसलिये उक्त भूमि का वादिया व प्रतिवादीगण नम्बर [illegible] ता [illegible] की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना सम्भव नही हो [illegible] आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास [illegible] से महरूम हो रही है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 13 उक्त वर्णित भूमियों क[illegible]ला बाला बिना विधिक या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अनुचित रूप से बंटवारा करवाये ही भूमियों को दीगर भूमाफियों को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ठ भग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने की धमकीयां दे रहे है एवं प्रतिवादिया नम्बर 1 ता 13 उक्त भूमियों का बिना विधिक बंटवारा करवाने से विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा कर मकानात आवासीय कमरे आदि का निर्माण करने खनन माफिया के अवेध कृत्यों के अनुशरण में इस भूमि पर खनन का मलबा डालकर अवैध तरीके से कब्जा करने तथा कृषि भूमि बंजर करने वादिया को उसके हक हिस्से से महरूम कर बदेखल करने एवं विशिष्ठ भाग पर अवैध तरीके से कब्जा करने कृषि भूमि का अकृषि उपयोग लेने की धमकीया दे रहे है व कुचेष्टा कर रहे है तथा आम रास्ते की भूमि व सडक की तरफ की बेशकिमती भूमि के विशिष्ठ भाग पर कब्जा करके उक्त भूमि की मौका सुरत बदलने पर आमादा हो रहे है एव उक्त भूमि पर खडे वृक्षो पेड पौधा सिंव डोल कर उगे कुंचे पुल्लो आदि को काटने पर आमादा हो रहे है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को शामलाती भूमि बिना बंटवारा कराये इस प्रकार का अवैधानिक कृत्य करने का कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नही है। मौके पर कानूनहीनता की स्थिति पैदा कर रखी है। प्रतिवादीगण ने वादिया को काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से प्रतिवादीण मान नहीं रहे है। इसलिए प्रतिवादीगण को उनके उक्त अवैध एव बैजा कृत्य के लिय जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं इस्तदुआ वादिया है कि बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न रूपेण सादर फरमाई जावे कि उक्त वर्णित भूमि की हाज आराजी भूमि कृषि भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 7.10 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 9.03 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 1.08 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 214/2778 रकबा 1.78 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. का वादिया एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 13 बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तकास्मा करवाया जाकर मौजुदा रास्ते की सीमा से लगते हुए रास्ते की भूमि व खातेदारी में दर्ज हिस्से अनुसार समान वितरण करते हुए भूमि के अलग अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जाकर अलग से जमाबंदी जारी की जावे व तदप्रमाणित असर स्वरूप वादिया व प्रतिवादीगण का नाम एक दुसरे की खातेदारी से हटाया जावे तथा राजस्व नक्शे में सभी पक्षकारान के हिस्से की भूमि की अलग से सींव काय कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाई जाकर लगान भी अलग कायम किया जाकर अलग–अलग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वाद वास्ते बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटि[illegible] पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 की तामील रजिस्टर्ड डाक से [illegible] ट्रैकिंग रिपोर्ट भी न्यायालय मे पेश हो चुकी है। बा[illegible] के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 के विरूद्ध एक[illegible]य कार्यवाही अमल में लाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

गई। प्रकरण में वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 13 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 13 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.05.2023 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.05.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम / न्याया / स्था / प–51 / 2008 / विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1181 / रीडर / 2023 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक कमांक / भू.अ. / 1437 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादी ने प्रकरण में समस्त पक्षकारान् प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादी ने किया। वकील वादी ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादी की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

–: कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त Signature Not Verified ... बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया Digitally signed by Dheeraj Jhajharia Date: 2026.03.10 17:06:32 IST Reason: SelfAttested जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ... तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार पत्रांक कमांक / भू.अ. / 23 / 1437

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 17.08.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाते की स्थिति :–

वर्तमान जमाबंदी में सहखातेदारी					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमे)	किस्म	लगान (रू. में)
	1. अजय कुमार कोकडा, आजाद कुमार कोकडा पुत्रगण सत्यनारायण कोकडा हिस्सा 29/96 जाति महाजन नि. नई दिल्ली खातेदार 2. औमप्रकाश पुत्र किशनदास हिस्सा 3/16 जाति महाजन सा. दिल्ली खातेदार 3. कमलादेवी पत्नि उमरावसिंह हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा. मावडा खातेदार 4. गजसिंह पुत्र रिछपालसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा. मावडा खातेदार 5. प्रहलादसिंह पुत्र रूडसिंह हिस्सा 1/96 जाति राजपूत सा. मावडा खातेदार 6. रामकरण पुत्र अर्जुनराम हिस्सा 1/4 जाति बलाई सा. रामपुरापाटन खातेदार।	खाता नम्बर 253 के खसरा नम्बर 214/2778	1.78	बजड 2	
	योग खाता	किता–1	1.78		

वर्तमान जमाबंदी में सहखातेदारी					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	[illegible]	रकबा (हैक्टेमे)	किस्म	लगान (रू. में)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1. अजय कुमार कोकडा, आजाद कुमार कोकडा पुत्रगण सत्यनारायण कोकडा हिस्सा 107/355 जाति महाजन नि. नई दिल्ली खातेदार 2. औमप्रकाश पुत्र किशनदास हिस्सा 17/142 जाति महाजन सा. दिल्ली खातेदार 3. कमलादेवी पत्नि उमरावसिंह हिस्सा 77/355 जाति गुर्जर सा. मावडा खातेदार 4. गजसिंह पुत्र रिछपालसिंह हिस्सा 44/355 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 5. प्रहलादसिंह पुत्र रूडसिंह हिस्सा 7/710 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 6. रामकरण पुत्र अर्जुनराम हिस्सा 14/355 जाति बलाई सा. रामपुरापाटन खातेदार। 7. संजय पुत्र ओ.पी. अग्रवाल हिस्सा 32/355 जाति महाजन सा. नई दिल्ली खातेदार 8. उमरावसिंह पुत्र गणेशसिंह हिस्सा 7/71 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	खाता नम्बर 252 के खसरा नम्बर 213	7.10	बजड 2		
योग खाता	किता–1	7.10			

वर्तमान जमाबंदी के अनुसार सहखातेदार

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
	1. अजय कुमार कोकडा, आजाद कुमार कोकडा पुत्रगण सत्यनारायण कोकडा हिस्सा 29/160 जाति महाजन नि. नई दिल्ली खातेदार 2. औमप्रकाश पुत्र किशनदास हिस्सा 17/1440 जाति महाजन सा. दिल्ली	खाता ... 2	1.08	बजड 2	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	खातेदार 3. कमला देवी पत्नि उमरावसिंह हिस्सा 9/80 जाति गुर्जर सा. मावडा खातेदार 4. गजसिंह पुत्र रिछपालसिंह हिस्सा 31/480 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 5. प्रहलादसिंह पुत्र रूडसिंह हिस्सा 1/160 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 6. संजय पुत्र ओ.पी अग्रवाल हिस्सा 15/32 जाति महाजन सा. नई दिल्ली खातेदार 7. नारायणसिंह पुत्र चन्दरसिंह हिस्सा 31/480 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 8. राजेशगुप्ता पुत्र रामनारायण हिस्सा 37/1440 जाति महाजन सा. खेतडी खातेदार 9. रामस्वरूपसिंह पुत्र भागीरथसिंह हिस्सा 31/480 जाति राजपूत सा. देह खातेदार				
	योग खाता	किता–1	1.08		

वर्तमान जमाबंदी में राहखातेदारी

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
	1. अजय कुमार कोकडा, आजाद कुमार कोकडा पुत्रगण सत्यनारायण कोकडा हिस्सा 4/21 जाति महाजन नि. नई दिल्ली खातेदार 2. कमलादेवी पत्नि उमरावसिंह हिस्सा 218/903 जाति गुर्जर सा.	खाता नम्बर 254 के खसरा नम्बर	9.03	बजड 2	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मावडा खातेदार 3. गजसिह पुत्र रिछपालसिंह हिस्सा 16 / 129 जाति राजपूत सा. दिल्ली खातेदार 4. प्रहलादसिह पुत्र रूडसिंह हिस्सा 3 / 301 जाति राजपूत सा. दिल्ली खातेदार 5. सजय पुत्र ओ.पी. अग्रवाल हिस्सा 51 / 301 जाति महाजन सा. नई दिल्ली खातेदार. 6. रामस्वरूपसिंह पुत्र भागीरथसिंह हिस्सा 16 / 129 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 7. मूलसिह पुत्र बच्चनसिंह हिस्सा 11 / 301 जाति राजपूत सा. देह मावण्डा खातेदार 8. रामकरण पुत्र अर्जुनराम हिस्सा 4 / 129 जाति बलाई सा. रामपुरापाटन खातेदार 9. साधुसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत हिस्सा 22 / 301 सा. मावण्डा खातेदार				
योग खाता	किता–1	9.03		

मौके के अनुसार खाते का विभाजन :-

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1. अजय कुमार कोकडा, आजाद कुमार कोकडा पुत्रगण सत्यनारायण कोकडा हिस्सा 672 / 2225 हि.ब.हि. जाति महाजन नि. नई दिल्ली खातेदार 2. औमप्रकाश पुत्र किशनदास हिस्सा 1669 / 8900 जाति महाजन सा. दिल्ली खातेदार 3. गजसिंह पुत्र रिछपालसिंह हिस्सा 1 / 4 जाति राजपूत सा. मावडा खातेदार 4. प्रहलादसिंह पुत्र रूडसिंह हिस्सा 93 / 8900 जाति राजपूत सा. मावडा खातेदार 5. रामकरण पुत्र अर्जुनराम हिस्सा 1 / 4 जाति बलाई सा. रामपुरापाटन खातेदार।	214 / 2778	1.78	बजड–2	
योग खाता		1.78		

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमे)	किस्म	लगान (रू. में)
	1. अजय कुमार कोकडा, आजाद कुमार कोकडा पुत्रगण सत्यनारायण कोकडा हिस्सा 535 / 1759 जाति महाजन नि. नई दिल्ली खातेदार 2. औमप्रकाश पुत्र किशनदास हिस्सा 425 / 3518 जाति महाजन सा. दिल्ली खातेदार 3. गजसिंह पुत्र रिछपालसिंह हिस्सा [illegible] जाति राजपूत सा. देह खातेदार 4. प्रहलादसिंह पुत्र रूडसिंह हिस्सा 35 / 3518 जाति	213 / 1	7.036	बजड–2	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजपूत सा. देह खातेदार 5. रामकरण पुत्र अर्जुनराम हिस्सा 70 / 1759 जाति बलाई सा. रामपुरापाटन खातेदार। 6. संजय पुत्र ओ.पी. अग्रवाल हिस्सा 2437 / 14072 जाति महाजन सा. नई दिल्ली खातेदार 7. उमरावसिंह पुत्र गणेशसिंह हिस्सा 175 / 1759 जाति राजपूत सा. देह खातेदार				
योग खाता	किता–1	7.036	बजड–2	
1. अजय कुमार कोकडा, आजाद कुमार कोकडा पुत्रगण सत्यनारायण कोकडा हिस्सा 979 / 3700 जाति महाजन नि. नई दिल्ली खातेदार 2. श्रीमप्रकाश पुत्र किशनदास हिस्सा 127 / 7400 जाति महाजन सा. दिल्ली खातेदार 3. गजसिंह पुत्र रिछपालसिंह हिस्सा 349 / 3700 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 4. प्रहलादसिंह पुत्र रूडसिंह हिस्सा 67 / 7400 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 5. संजय पुत्र ओ.पी. अग्रवाल हिस्सा 2877 / 7400 जाति महाजन सा. नई दिल्ली खातेदार 6. नारायणसिंह पुत्र चन्दरसिंह हिस्सा 349 / 3700 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 7. राजेशगुप्ता पुत्र रामनारायण हिस्सा 277 / 1400 जाति महाजन सा. खेतडी खातेदार 8. रामस्वरूपसिंह पुत्र भागीरथसिंह हिस्सा 349 / 3700 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	230 / 2	0.74	बजड 2	
योग खाता	किता–1			

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमे)	किस्म	लगान (रू. में)
1. अजय कुमार कोकडा, आजाद कुमार कोकडा पुत्रगण सत्यनारायण कोकडा हिस्सा 172/537 जाति महाजन नि. नई दिल्ली खातेदार 2. प्रहलादसिंह पुत्र रूडसिंह हिस्सा 3/179 जाति राजपूत सा. दिल्ली खातेदार 3. सजय पुत्र ओ.पी. अग्रवाल हिस्सा 39/179 जाति महाजन सा. नई दिल्ली खातेदार. 4. रामस्वरूपसिंह पुत्र भागीरथसिंह हिस्सा 112/537 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 5. मूलसिंह पुत्र बच्चनसिंह हिस्सा 11/179 जाति राजपूत सा. देह मावण्डा खातेदार 6. रामकरण पुत्र अर्जुनराम हिस्सा 28/537 जाति बलाई सा. रामपुरापाटन खातेदार	214/2 214/4	3.41 1.96	बजड–2	
योग खाता	किता–2	5.37	बजड–2	

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

खाता रकबा	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा	रकबा (हैक्टेमे)	किस्म	लगान (रू. में)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमला देवी पत्नि उमरावसिंह हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा. मावडा खातेदार	214 / 1 214 / 3 213 / 2 230 / 1	3.56 0.10 0.0640 0.34	बजड–2 गै. मु. रास्ता गै. मु. रास्ता बजड 2	
योग खाता	किता–4	4.0640		

नोटः प्रारम्भिक डिक्री में भिजवाई गई कुर्रेजात रिपोर्ट में कृषि भूमि खसरा नम्बर 230 / 4, 214 / 1 में रास्ते का प्रावधान खसरा नम्बर 213 / 2, 214 / 3 से लाल स्याही से दर्शित रास्तेनुमा आकृति है। जो लाल स्याही से डोटेड लाईन "ए" से "बी" के पर प्रचलित डामरीकृत सडक से जुडा है। शेष खसरान भूमियां "ए" से "बी" प्रचलित डामरीकृत सडक से जुडी हुई है।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार ... के जरिये पत्रांक 1437 / भू.अ. / 23 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा प्रा... विधिक विभाजन प्रस्ताव व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dheeraj Jhajharia
Date: 2026.03.10 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested